(iv) Co-operation of Police, BSF, DRI and Army is also taken, as and when required in apprehending the poachers and illegal traders.

(v) India is a party to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and abides by the regulations of international trade in endangered species of animals and articles. Under the provisions of the convention, Rhino is covered under Appendix I of CITES which bans international trade in the species, products and derivatives.

(vi) With a view to providing alternative home for Rhinos and also rehabilitating them in their erstwhile habitat, scheme for 'Rehabilitation of Rhinos' has been started in Dudhwa National Park and Katerniaghat Wildlife Sanctuary of Uttar Pradesh.

(vii) Raids are carried out by the Wildlife authorities whenever information of illegal trading reaches them.

(viii) Sub-regional offices of wildlife preservation is located in Guwahati to prevent smuggling of wildlife products.

(ix) A scheme is in operation for payment of reward to the informers, which, among other things, helps in getting inteligence regarding smuggling of wildlife products.

Cutting subsidy bill on Food-items

1895. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to cut the subsidy bill on food by Rs. 2500 crores;

(b) if so, whether there would be a dual price system of below the poverty level (BPL) and above poverty level (APL) people; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SATYA PAL SINGH YADAV): (a) With a view to neutralising the financial burden consequent upon the hike in MSP of wheat and paddy and grant of bonus over and above the MSP of wheat, and also to containing the food subsidy to a manageable level, the Central Issue Prices of wheat and rice have been revised for APL families only w.e.f. 29.1.99. As a result of this, the subsidy outgo on foodgrains would reduce by about Rs. 300 crores during the current financial year and by about Rs. 2200/- crores during the financial year 1999-2000.

(b) Yes, Sir.

(c) Central Issue Prices of wheat and rice for APL and BPL families effective from 29.1.99 are as under:

Rs./Per Qtl.

Commodity	CIP	FIR
	BPL	APL
Wheat	250	650
Rice		
Common	350	700*
Grade 'A'	350	905

*Applicable only to J & K, Himachal Pradesh and Hilly areas of N.E. States including Sikkim and U.P.

चीनी और चावल पर राजसहायता

1896. **श्री डी०पी० यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी और चावल के निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) वर्ष 1998 की समाप्ति पर चावल और चीनी पर कुल कितनी राज-सहायता दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार चावल व चीनी पर राज-सहायता कम करने पर विचार कर रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) वर्तमान में चीनी अथवा चावल का निर्यात करने विषयक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, प्रणाली तरजीह कोटे (सिस्टम प्रिफेरेंशियल कोटा) के तहत चालू वर्ष में 0.8 लाख टन चीनी का निर्यात करने की संभावना है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल—दिसंबर, 1998 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लेवी चीनी के वितरण संबंधी राजसहायता पर खर्च 290.84 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के दौरान चावल संबंधी उपभोक्ता राजसहायता लगभग 2679 करोड़ रुपये है।

(ग) 29.1.1999 से गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि मुख्यतया राजसहायता को उचित स्तर से बनाए रखने के लिए की गई थी।

चीनी पर आयात शुल्क में वृद्धि

1897. **श्री डी॰ पी॰ यादव: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी पर आयात शुल्क में वृद्धि कर दी गई है; यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ख) क्या चीनी के आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने से चीनी का आयात प्रभावित हुआ है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां। सरकार ने 14.1.1999 से चीनी के आयात पर सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय किया है और उस पर 850/- रुपये प्रति टन का प्रतिशुल्क जारी रहेगा। सीमा शुल्क दर ढांचे में परिवर्तन होने से, 28.2.1999 से चीनी के आयात पर 10% के अधिभार के साथ सीमा शुल्क बढ़कर 25% हो गया है जैसाकि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बजट प्रस्तावों में उल्लेख किया गया है।

(ख) चूंकि चीनी के आयात पर संशोधित सीमा शुल्क कुछ ही दिन पहले लागू किया गया है, इसलिए चीनी के आयातों पर इसके प्रभाव का आंकलन करना जल्दबाजी होगी।

चीनी पर बफर स्टॉक सब्सिडी समाप्त करना

1898. **श्री लक्खीराम अग्रवाल: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले के** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 9 जुलाई, 1998 से चीनी पर बफर स्टाक सब्सिडी समाप्त कर दी है जो पहले चीनी मिलों को दी जाती रही है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा चीनी मिलों को वर्षवार कितनी बफर सब्सिडी प्रदान की गई है; और

(ग) 31 दिसंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार गन्ना उत्पादकों का चीनी मिलों पर राज्य-वार बकाया राशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) सरकार द्वारा 10.1.1996 से सृजित किया गया बफर स्टाक 9.7.1998 को समाप्त कर दिया गया है जिसके लिए चीनी प्रतिष्ठानों को ब्याज, भंडारण और बीमा लागतों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान बफर स्टाक रखने की लागत के रूप में चीनी मिलों को दी गई सब्सिडि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बफर सब्सिडि
1995-96	7.72
1996-97	69.98
1997-98	177.49
1998-99 (31.12.98 तक)	102.78

(ग) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार, चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की देय बकाया धनराशि (गन्ना उत्पादकों को देय धनराशि) 684.57 करोड़ रुपये थी। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।